प्रेस नोट थाना शमशाबाद जनपद आगरा

थाना शमशाबाद पुलिस टीम द्वारा इण्डिका कार लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए दोनों अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह बरामद..

घटना का विवरण :—

दिनांक 27.06.2021 को वादी सरनाम सिंह पुत्र प्रेमसिंह चाहर नि0 ग्राम बाद थाना मलपुरा द्वारा थाना शमशाबाद पर तहरीर दी गयी कि मेरी गाड़ी इण्डिको जिसे में बुकिंग पर स्वयं चलाता हूं। दिनांक 26.06.2021 को मैं अपनी गाड़ी से थाना ताजगंज क्षेत्र में सवारी छोड़कर वापस जा रहा था। सीएनजी पैट्रोल पम्प 100 फुटा रोड ताजनगरी आगरा के पास दो युवक मेरी गाड़ी में बड़ा गांव शमशाबाद के लिए बैठे। शमशाबाद पहुंचने पर मुझे चितौरा रोड पर छोड़ने के लिए बोला। चितौरा रोड पहुंचने पर उन दोनों युवकों ने मेरी आंखों में पीछे से मिर्च पाउडर डाल दिया व असलाह मेरी पीठ पर लगाकर जान से मारने की धमकी देते हुए मुझे गाड़ी से नीचे फैंक दिया और मेरी गाड़ी को लूट कर भाग गये। इस सम्बन्ध में थाना शमशाबाद पर मु0अ0सं0 160/21 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त सनसनीखेज घटना के अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी शमशाबाद को टीम गठित कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 27.06.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि जिन बदमाशों द्वारा रात्रि में टाटा इण्डिको कार लूटी थी वह लोग लूट की गाड़ी को कटवाने की फिराक में चितौरा होते हुए ग्राम कोलारी की तरफ आ रहे हैं जिनके पास असलाह भी हो सकते हैं। यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किये जा सकते हैं।

पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण :—

पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए बताये स्थान ग्राम चितौरा से कोलारी रोड पुलिया के पास पहुंच गाढाबन्दी की गयी। कुछ समय उपरान्त एक कार आती हुयी दिखायी दी पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा करने पर कार सवार अभियुक्त कार को पीछे मोड़ने लगे। पुलिस टीम को अपनी तरफ आता देख दोनों कार से उतरकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा साहस के साथ अपना बचाव करते हुए चारों ओर से घेरकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस, 01 अदद चाकू, 01 इण्डिका कार लूट की बरामद हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01. दुशासन पुत्र भीमसेन नि0 ग्राम बांगुरी थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
02. पंकज परिहार पुत्र प्रवीन परिहार नि0 उपरोक्त।

बरामदगी का विवरण :–

01. 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस,
02. 01 अदद चाकू।
03. 01 इण्डिका कार लूट की।
04. लूट में प्रयुक्त मिर्च का पाउडर खुला पैकेट।

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

अभि0 दुशासन उपरोक्त :–

01. मु0अ0सं0 456/16 धारा 394/411 भादवि थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 32/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
03. मु0अ0सं0 198/17 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
04. 163/15 धारा 147/148/149/325/397/452/354/336/323/504 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना शमशबाद जनपद आगरा।
05. मु0अ0सं0 160/21 धारा 392/411 भादवि थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
06. मु0अ0सं 162/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शमशाबाद जनपद आगरा।

अभि0 पंकज उपरोक्त :–

05. मु0अ0सं0 160/21 धारा 392/411 भादवि थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
06. मु0अ0सं 163/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना शमशाबाद जनपद आगरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

01. थानाध्यक्ष श्री राजकुमार गिरि थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
02. उ0नि0 राजेन्द्र सिंह थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
03. उ0नि0 अमित कुमार थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
04. का0 प्रमोद कुमार, का0 ऋषि कुमार थाना शमशाबाद जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।